दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

परीक्षा समिति की आकस्मिक बैठक दिनांक 02/04/2016 का कार्यवृत्त

उपस्थितिः

1	प्रो0 अशोक कुमार	कुलपति	अध्यक्ष
2	प्रो0 अशोक कुमार श्रीवास्तव	अधिष्ठाता, कला संकाय	सदस्य
3	प्रो0 जितेन्द्र तिवारी	अधिष्ठाता, विधि संकाय	सदस्य
4	प्रो0 पी0सी0 शुक्ल	अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय	सदस्य
5	प्रो0 श्रीमती शैलजा सिंह	अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय	सदस्य
6	प्रो0 एस0के0 सेन गुप्ता	अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय	सदस्य
7	डॉ0 महेश्वर सिंह	अधिष्ठाता, कृषि संकाय	सदस्य
8	डॉ0 श्रीकान्त दीक्षित	आचार्य, भूगोल विभाग	सदस्य
9	डॉ0 निजामुद्दीन	आचार्य, रसायन विज्ञान विभाग	सदस्य
10	डॉ0 के0के0 यादव	प्राचार्य, बापू डिग्री कालेज, पीपीगंज गोरखपुर	सदस्य
11	डॉ0 वेद प्रकाश मिश्र	वरिष्ठ, शिक्षक महाविद्यालय	सदस्य
12	डॉ0 अमरेन्द्र कुमार सिंह	परीक्षा नियंत्रक	सचिव

कार्यवृत्त :

1. आनन्द प्रकाश सिंह द्वारा अरूण कुमार गिरि के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष 1983 अनुक्रमांक 29228 एवं बी0एस–सी0 अंतिम वर्ष 1984 अनुक्रमांक 1132472 डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ के परीक्षाफल के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना के क्रम में परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 19/11/2015 को लिये गये निर्णय–

"जांच समिति के संस्तुति के अनुरूप विश्वविद्यालय सारणीयन पंजिका में संशोधन यदि वर्ष–1983 में हुआ है तो संशोधन के समय संशोधन कर्ता द्वारा बनाये गये लघु हस्ताक्षर क्या उसी संशोधनकर्ता का है। इस संदर्भ में समिति की संस्तुति कि हस्ताक्षर विशेषज्ञ से दोनों हस्ताक्षर की जांच करा ली जाय, यदि हस्ताक्षर मिलान होता है/प्रमाणित होता है तो इसे सही मान लिया जाय, यदि नहीं प्रमाणित होती है तो इसे टेम्परिंग मानकर अग्रेतर विधिक कार्यवाही की जाय"

के क्रम में हस्ताक्षर विशेषज्ञ से प्राप्त जॉच आख्या की सील बन्द रिपोर्ट समिति के समक्ष खोलने एवं तदक्रम में अग्रेतर कारवाई पर विचार–

निर्णय–परीक्षा समिति के समक्ष हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से सम्बन्धित सीलबन्द लिफाफा खोला गया। हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा विस्तृत परीक्षण करके कुल 19 पेज की प्रेषित रिपोर्ट का परीक्षा समिति द्वारा अवलोकन किया गया, जिसमें पाया गया कि–

(क) हस्ताक्षर विशेषज्ञ द्वारा अरूण कुमार गिरी बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1983 अनुक्रमांक 29228 एवं बी0एस–सी0 अंतिम वर्ष–1984 अनुक्रमांक 1132472 केन्द्र–डी0ए0वी0पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ के परीक्षाफल में किये गये संशोधन पर संशोधनकर्ता के हस्ताक्षर से उनके अन्य हस्ताक्षरों से मिलानकर अपनी रिपोर्ट में परीक्षाफल पर किये गये हस्ताक्षर का मिलान न होने व **"free hand forgeries"** करने का उल्लेख किया गया है। समिति ने हस्ताक्षर विशेषज्ञ की आख्या को यथावत स्वीकार किया तथा जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार सर्वसम्मत्ति से इसे टेम्परिंग मानते हुए अरूण कुमार गिरी पुत्र श्री सूर्यनाथ गिरी बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष–1983 अनुक्रमांक 29228 के रसायन विज्ञान प्रायोगिक के कॉलम में पूर्व से अंकित A को काटकर 32 (बत्तीस) अंक की, कीगयी प्रविष्टि को तथा परीक्षाफल के कॉलम में F को काटकर P अंकित की गयी प्रविष्टि को अस्वीकार करते हुए अरूण कुमार गिरी पुत्र श्री सूर्यनाथ गिरी बी0एस–सी0 प्रथम वर्ष–1983 अनुक्रमांक 29228 की सारणीयन पंजिका में पूर्व की प्रविष्टि के अनुसार परीक्षाफल F (अनुत्तीर्ण) ही रखे जाने का निर्णय लिया, साथ ही बी0एस–सी0 भाग दो वर्ष–1984 अनुक्रमांक 132472 के सम्मुख परीक्षाफल के अन्य कॉलम मे B.SC.-1 FAIL को काटकर II (द्वितीय श्रेणी) की प्रविष्टि किये जाने को अस्वीकार करते हुए पूर्व से अंकित परीक्षाफल को B.SC.-1 FAIL को यथावत मानने का निर्णय लिया।

समिति ने सर्वसम्मत्ति से यह भी निर्णय लिया कि अरूण कुमार गिरी पुत्र श्री सूर्यनाथ गिरी के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1983, अनुक्रमांक 29228 एवं बी0एस–सी0 भाग दो सन–1984 अनुक्रमांक 132472 केन्द्र–डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ की विश्वविद्यालय के अभिलेख कक्ष की सारणीयन पंजिका में की गयी टेंपरिंग के पूर्व के परीक्षाफल के अनुसार सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मांगी गयी सूचना के प्रतिवेदक श्री आनन्द प्रकाश सिंह एवं अन्य तथा समस्त सम्बन्धित को सूचित कर दिया जाय।

(ख) अरूण कुमार गिरी पुत्र श्री सूर्यनाथ गिरी के बी0एस–सी0 भाग एक वर्ष–1983, अनुक्रमांक 29228 एवं बी0एस–सी0 भाग दो सन–1984 अनुक्रमांक 132472 केन्द्र–डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ की अभिलेख कक्ष

में स्थित सारणीयन पंजिका में की गयी टेम्परिंग के सम्बन्ध में समिति ने विधिक राय प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर विचार–

(क)– दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के समान सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के पाल्यों को भी शुल्क मुक्ति प्रदान करने पर विचार।

निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के पाल्यों को शुल्क मुक्ति का लाभ मिलता है। इसी प्रकार सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों एवं शिक्षकों के पाल्यों को भी शुल्क मुक्ति प्रदान की जाय तथा प्रकरण वित्त समिति को सन्दर्भित किया गया।

(ख)–वार्षिक परीक्षा वर्ष–2016 में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार आनलाइन परीक्षाफार्म भर दिये गये हैं, उक्त के सन्दर्भ में विचार।
निर्णय–समिति ने सर्वसम्मत्ति से निर्णय लिया कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा एक ही कक्षा/पाठ्यक्रम में एक से अधिक बार आनलाइन परीक्षाफार्म भर दिये गये हैं, उनके परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अनुक्रमांक एवं फार्म आई0डी0 नम्बर का परीक्षाफल घोषित कर दिया जाय तथा अन्य फार्म आई0डी0 नम्बर के परीक्षाफार्म को निरस्त कर दिया जाय।

परीक्षा नियंत्रक

कुलपति